

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमू

2023/76

श्री कृष्ण शिक्षण शिक्षा एवं शोध संस्थान गोविन्दगढ़ बनाम किशनलाल वगै०

मुकदमा नम्बर :- 32/2023

वाद पत्र धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	02.06.2023	<p>वकील वादी धीरेन्द्र सैनी ने वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट दफतर हो चुकी है। धारा 80(2) सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली बाद तलबी दिनांक 16.6.23 को पेश हो।</p> <p><i>Handwritten signature</i></p>	
	16/6/23	<p>वकील वादी उप० प्रतिवादी सं. 2 की ओर से प्रवेश शर्त वकील ने प्रार्थना पत्र पेश किया। न्याय विणामी गयी। प्रतिवादी सं. 3 वाड तलबी प्रस्तुत है। प्रतिवादी सं. 2 की आदम प्रेषित प्राप्त। प्रतिवादी सं. 2 की तलबी परिशिष्ट एपि० एपि० से कराया जाये के आदेश दिमे जाते हैं पत्रावली वाड तलबी वास्ते जवाब जमागान दिनांक 26/6/23 को पेश हो।</p> <p><i>Handwritten signature</i></p>	
	26/6/23	<p>पत्रावली आज प्रशासन गाँव के संग प्रशासन 2023/कैम्प कोर्ट ग्राम गोविन्दगढ़ में पेश हुई। प्रश्नकारान उप/अनु पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 27/7/23 को पेश हो।</p>	
	07/7/23	<p>व.क. उप. प्रतिवादी सं. 2 की एपि० एपि० के रसीदे पेश की पत्रावली वाड तलबी वास्ते जवाब हेतु दिनांक 26/7/23 को पेश हो।</p>	
	26/7/23	<p>व.क. उप. पत्रावली पूर्णदेशानुसार जमागान दिनांक 17/8/23 को पेश हो।</p>	

17/8/23

प्रसाधित ऑफिसर दौरे / अवकाश
पर है। अतः अभिन कार्यावाही हेतु
दिनांक 14/9/23
को पेश हो। *[Signature]*

04/9/23

प्रसाधित ऑफिसर दौरे / अवकाश
पर है। अतः अभिन कार्यावाही हेतु
दिनांक 15/9/23
को पेश हो। *[Signature]*

15/9/23

प्रसाधित ऑफिसर दौरे / अवकाश
पर है। अतः अभिन कार्यावाही हेतु
दिनांक 29/9/23
को पेश हो। *[Signature]*

29/9/23

व.क्र. 24/1) प्रतिवादी सं. 02 के शनि. एडि. सम्मन
प्राप्त हुए। जिसमें 1 माह के अतिरिक्त का
समय है। इनके और से कोई अपील
नहीं है। अतः इनके शनि. सम्मन पत्रों को
इनके विरुद्ध एकपत्रिय अपील के माध्यम
जाती है। पत्रावली वारं वारं जवाब देते हैं।
20/10/23 को पेश की *[Signature]*

20/10/23

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय का समय समाप्त
होने तक बार-बार जवाब डिलायी गयी। नतीजा
न्यायालय व न्यायालय अप. नहीं है। अतः पत्रावली
न्यायालय व न्यायालय में खारिज की
जाती है। पत्रावली जैसा है। इन न्यायालय से
कोई शनि. सम्मन प्राप्त है।
सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)